# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :— नयन गौतम** आई.ए.एस.

**अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 124/2025**

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहनलाल, जाति जाट निवासी 12 एफ बड़ा मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— — प्रार्थी

**—:: बनाम ::—**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

**— :: उपस्थित अभिभाषक :: —**

अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग — प्रार्थी
पैरोकार राज — अप्रार्थी

## — :: आदेश ::—

**दिनांक :—21.12.2025**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी का स्थाई पता वही है, जो आवेदन पत्र के शीर्षक में अंकित है । प्रार्थी के नाम चक 14 ए एफ मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/31 में कुल 3.100 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी द्वारा उक्त संशोधन हेतू तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया तो वह ऐसा करने मे असक्षम होने का कह कर साफ इंकार हो गये, यही हेतुक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त है। आवेदन पत्र कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम के संशोधन का है, जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एंव उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/31 में प्रार्थी का नाम संशोधित कर जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगराज पुत्र सोहनलाल के रूप में दर्ज है, को संशोधित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुरेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल के रूप में दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

**प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट** उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका अनुसार चक 14 ए एफ जमाबन्दी हाल संवत 2073–76 खाता संख्या 38/31 में प्रार्थी का का बेगराज पुत्र सोहनलाल जाति जाट सा० मिर्जेवाला खातेदार के मु.नं. 13 कि.नं. 1,2,9,10,11,12 (सालम 0.253 हैक्. नहरी ), कि.नं. 21, 22, 23 प्रत्येक 0.228 हैक्. नहरी कुल रकबा 3.100 हैक्. नहरी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी को नामान्तरण संख्या 48 दिनांक 27.12.1978 को विभाजन से प्राप्त हुई है। इससे पूर्व के नामान्तरण संख्या 4 दिनांक 28.08.1973 मुस्तरका खाता में प्रार्थी का नाम बेगराज दर्ज रिकार्ड है। जो आदिनांक तक प्रार्थी का नाम बेगराज ही दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में आदिनांक तक सहवन से पटवारी हलका द्वारा कोई त्रुटि नहीं हुई है। पटवारी हलका को प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजो इत्यादि में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार ही है। पटवारी हलका द्वारा पूछताछ के आधार पर सुरेन्द्रकुमार और बेगराज एक ही व्यक्ति के नाम है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आज राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 14 एफ बड़ा, पटवार हल्का 4 के खाता संख्या 38/31, प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार के नाम से जारी आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी के पिता सोहना लाल के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 14 एफ बड़ा, पटवार हल्का 4 के खाता संख्या 38/31 में अंकित नाम बेगराज पुत्र सोहनलाल के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार उर्फ बेगराज पुत्र सोहनलाल अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर